

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Civil Writ Petition No. 4341/2026

Om Vishnu S/o Shivnarayan Bishnoi, Aged About 37 Years,
Resident Of- 14 Lm, Tehsil- Anupgarh, District- Sriganganagar
(Raj.).

-----Petitioner

Versus

1. Prabhat Singh S/o Daya Shankar, Resident Of- Village Chuhad, Tehsil Dehra, District Kangra (Himachal Pradesh).
2. Ashwini Kumar S/o Mahendra Kumar, Resident Of- Village Jalakh Dakkhana, Bilaspur, Tehsil Haripur, District- Kangra (Himachal Pradesh).
3. Vinod Kumar S/o Mahendra Kumar, Resident Of- Village Jalakh Dakkhana, Bilaspur, Tehsil Haripur, District- Kangra (Himachal Pradesh).
4. Mejar Singh S/o Mahendra Kumar, Resident Of- Village Jalakh Dakkhana, Bilaspur, Tehsil Haripur, District- Kangra (Himachal Pradesh).
5. Sushma Devi D/o Mahendra Kumar, Resident Of- Village Jalakh Dakkhana, Bilaspur, Tehsil Haripur, District- Kangra (Himachal Pradesh).
6. Satya Devi W/o Mahendra Kumar, Resident Of- Village Jalakh Dakkhana, Bilaspur, Tehsil Haripur, District- Kangra (Himachal Pradesh).
7. Naresh Singh S/o Sartaj Singh, Resident Of- Village Jalakh Dakkhana, Bilaspur, Tehsil Haripur, District- Kangra (Himachal Pradesh). 2 To 7 Through Power Of Attorney Holder Prabhat Singh S/o Daya Shankar, Resident Of- Village Chuhad, Tehsil Dehra, District Kangra (Himachal Pradesh).
8. Sub Registrar, Anupgarh, District Sriganganagar (Raj.).
9. District Collector, Sriganganagar (Raj.).

-----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Sohan Lal Jain
For Respondent(s)	:	Mr. Dron Kaushik

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA**Order****08/05/2026**

याची/अपीलार्थी/वादी ने यह रिट याचिका विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 08.05.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत समझौता को तस्दीक करने से इन्कार किया गया है।

वादी/याची के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उन्होंने विचारण न्यायालय में विक्रय इकरारनामा दिनांक 10.04.2024 संविदा की विशिष्ट अनुपालना का वाद प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के विरुद्ध प्रस्तुत किया था। प्रतिवादी संख्या-1 लगायत 7, इकरारनामा के मुताबिक विक्रय विलेख पंजीकृत करने के लिए सहमत हो गए थे परंतु न्यायालय ने केवल इस आधार पर राजीनामा तस्दीक करने एवं निर्णय पारित करने से इन्कार किया कि इकरारनामा अपर्याप्त स्टाम्प पर लिखा गया है। उनका तर्क है कि विक्रय विलेख के निष्पादन के समय जो भी स्टाम्प ड्यूटी देय होगी वे देने के लिए तत्पर हैं, ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 08.05.2025 अपास्त किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या-1 लगायत 7 भी उपस्थित हैं, जिन्होंने प्रकट किया कि उनका वादी के साथ समझौता हो गया था और वे उक्त इकरारनामा के आधार पर विक्रय विलेख निष्पादित करने के लिए तत्पर हैं। केवल इस आधार पर कि इकरारनामा अपर्याप्त स्टाम्प पर लिखा गया है, राजीनामा सत्यापन से और इस आधार पर डिक्री पारित करने से इन्कार नहीं किया जा सकता है क्योंकि स्टाम्प ड्यूटी की अपर्याप्तता विक्रय विलेख के निष्पादन के समय पूर्ण किए जाने योग्य है।

विचार किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए विद्वान विचारण न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या-1 अनूपगढ़ श्रीगंगानगर द्वारा दीवानी वाद संख्या 12/2025 ओमविष्णु-बनाम-प्रभात सिंह आदि के मामले में पारित आलौच्य आदेश दिनांक 08.05.2025 अपास्त किया जाता है। विद्वान विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वे केवल इस आधार पर कि इकरारनामा अपर्याप्त स्टाम्प पर लिखा

गया है, राजीनामा से इन्कार नहीं करे एवं दोनों पक्षकारों के बीच हुए राजीनामा को विधि अनुसार न्यायालय की सन्तुष्टि करने के उपरांत आदेश की तिथि से 15 दिन के भीतर-भीतर तस्दीक करें तथा मामले में विधिपूर्ण आदेश पारित करें।

उल्लेखनीय है कि यदि प्रकरण में विक्रय विलेख के निष्पादन के सम्बन्ध में डिक्री पारित की जाती है तो पक्षकार जिसके द्वारा उक्त विलेख पर जो स्टाम्प ड्यूटी विधितः देय होगी वे उसे अदा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

तदनुसार रिट याचिका एवं विविध प्रार्थना-पत्र यदि कोई हो, तो निस्तारित किए जाते हैं।।

(SHUBHA MEHTA),J